**न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं.1, गंगापुर सिटी**
**पीठासीन अधिकारी: रेशमा खान (लिंक अधिकारी)**
**1. जमानत याचिका संख्या – 233/2026**
**सी.एन.आर. नंबर–RJSM070007242026**

1. कुमारी अंजली उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी पुत्री सरदार उम्र 21 साल, निवासी लाडा काडा की ढाणी थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, राज.।
2. कुमारी संगीता पुत्री सरदार उम्र 20 साल, निवासी लाडा काडा की ढाणी थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर, राज.।

**प्रार्थीगण/अभियुक्तगण**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक **प्रत्यर्थी**

**2. जमानत याचिका संख्या – 236/2026**
**सी.एन.आर. नंबर– RJSM070007272026**

1. शरीफ पुत्र जुम्मा उम्र 38 साल, निवासी पिपलाई थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, राज.।
2. सोहिल खां पुत्र मकबूल उम्र 25 साल, निवासी पिपलाई थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, राज.।

**प्रार्थीगण/अभियुक्तगण**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक **प्रत्यर्थी**

**प्रार्थना–पत्र जमानत अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं.**
**प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 73/2026 पुलिस थाना बामनवास**
**धारा 305(E), 331(4) बी.एन.एस.**

| | |
|---|---|
| अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या | प्रथम |
| घटना की दिनांक | 20.04.2026 |
| अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की दिनांक | 1. कुमारी अंजली उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी–02.06.2026<br>2. कुमारी संगीता –02.06.2026<br>3. शरीफ–01.06.2026<br>4. सोहिल खां– 01.06.2026 |

**उपस्थिति,**

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त कुमारी अंजली उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी व कुमारी संगीता की ओर से,
2. श्री रामदयाल त्रिवेदी अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त शरीफ व सोहिल खां की ओर से।
2. श्री नवीन कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से,

**आदेश** **दिनांक 06.06.2026**

**प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कुमारी अंजी उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी, कुमारी संगीता एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शरीफ व सोहिल खां** की ओर से अलग अलग **जमानत का आवेदन** अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में पेश किया है। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई एवं बहस सुनी गई। दोनों प्रार्थनापत्र **एफ.आई.आर**

**संख्या 73/2026 पुलिस थाना बामनवास** से संबंधित होने के कारण उक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कुमारी अंजलि उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी व कुमारी संगीता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में बिल्कुल झूंठा फंसाया गया है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से इस प्रकरण में कोई बरामदगी नहीं हुई है। शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 20–21 वर्षीय अध्ययनरत नवयुवतियां हैं, जिनके हिरासत में रहने से उनके चरित्र पर विपरीत प्रभाव पडेगा तथा उनका अध्ययन भी बाधित होगा और भविष्य में अपना जीवन नहीं संवार सकंगी। पूर्व में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आज तक कोई दीवानी फौजदारी प्रकरण दर्ज नही है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लाडा काडा की ढाणी की संभ्रान्त निवासी हैं, घर में खेती माता, पिता, भाई, बहन हैं, जिनके कहीं फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है।अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शरीफ व सोहिल खां की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में बिल्कुल झूंठा फंसाया गया है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा गवाहान को डराने धमकाने या बहकाने फुसलाने का कोई प्रश्न नहीं है। मुकदमे के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है, तब तक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की न्यायिक हिरासत कतई गैरजरूरी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है, जिसकी सजा आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड हो। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कहीं भागने या फरार होने का भी कोई अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा दौराने बहस जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क किये गये कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 305(E), 331(4) बी.एन.एस. के अपराध प्रमाणित पाये गये हैं। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड होना नहीं जाहिर किया।

| क्र0स | एफआईआर नंबर | अपराध अन्तर्गत धारा | चार्जशीट /एफआर नं. | थाना |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – |

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी मायाराम हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बामनवास ने तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना बामनवास में इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 20.04.2026 को प्रातः 0930 बजे ज्ञात हुआ कि कार्यालय हाजा की निर्वाचन शाखा के हॉल में पीछे की खिड़की में अज्ञात व्यक्ति सेंध मारकर निर्वाचन शाखा में जुड़े आवश्यक दस्तावेज, पत्रावलियां, मतदाता सूचियों को चुरा ले गया है। पूर्व में दिनांक 01.04.2026 को भी इसी प्रकार अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसी खिड़की से सेंध मारकर आवश्यक दस्तावेज एवं पत्रावनियों को चुराकर ले जाने संबंधी प्रासंगिक पत्रांक भेजकर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किए जाने हेतु लिखा गया था। आज पुनः इसी प्रकार की घटना पटित हो जाने पर मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जाना तथा दोषी के विरुद्ध ठोस कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है। दिनांक 01.04.2026 एवं आज दिनांक 20.04.2026 को हुई घटना में निर्वाचन शाखा में जुड़े निम्नलिखित दस्तावेज / पत्रावलियां गायब मिले–01. एक छोटे बक्से, जिसमें ताला लगा हुआ था, की कुण्डी टूटी हुई मिली जिसमें विधानसभा चुनाव 2018 एवं 2023 में शामिल राजनैतिक प्रत्याशियों के नामांकन फार्म गायब पाए गए। 02. पचायत् चुनाव 2026 हेतु पंचायतवाइज एकत्रित किए गए दावे एवं आपत्तियों (फार्म संख्या 1,2,3)

के बण्डल अधिकांशतः गायब पाए गए एवं कई पंचायतों के फार्म बिखरे हुए पाए गए। 03. एसआईआर 2026 की नवीन मतदाता सूचियों के कुछ सेट गायब मिले। 04. वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 की विधानसभा की मतदाता सूचियां, जो कि हॉल में उसी टूटी खिड़की के एकतरफ रखी हुई लोहे की बड़ी रेक में वर्षवार बंडल बांधकर जमाकर रखी हुई थीं, गायब मिली। 05. पंचायत चुनाव 2015 की विभिन्न पत्रावलियां, जो कि एक बस्ते में बांधकर लोहे की रेक में रखी हुई थी, समस्त गायब मिली। 06. पंचायत चुनाव 2020 की विभिन्न पत्रावलियां, जो कि एक बस्ते में बांधकर लोहे की रेक में रखी हुई थी, समस्त गायब मिली। 07. विधानसभा आम चुनाव 2018 एवं 2023 की पत्रावलियां तथा लोकसभा आम चुनाव 2019 एवं 2024 की पत्रावलियां गायब मिलीं। अतः पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण की रिपोर्ट आवश्यक रूप से दर्ज की जाकर प्रकरण में अनुसंधान किया जाना एवं दोषी के विरुद्ध मुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा कार्यालय के रात्रिकालीन पहरे / निगरानी हेतु आवश्यक व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त रिपोर्ट पर थाना बामनवास में मुकदमा नम्बर **73/2026 धारा 305(E), 331(4) बी.एन.एस.** में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान अनुसंधानाधिकारी द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्त के विरूद्ध धारा **305(E), 331(4) बी.एन.एस.** का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कुमारी अंजलि उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी व कुमारी संगीता को दिनांक 02.06.2026 को गिरफ्तार किया गया तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शरीफ व सोहिल खां को दिनांक 01.06.2026 को गिरफ्तार किया गया।**

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। केसडायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दौराने अनुसंधान बयान मुकदमा मुस्तगीस मायाराम व गवाहान कैलाश, रामेश्वर प्रसाद के बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किया जाना, घटनास्थल का नक्शा मौका कसीद कर शामिल पत्रावली किया जाना, फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण, पूछताछ नोट, फर्द जब्ती, फई इत्तला मुलजिमान धारा 23(2) बीएसए, फर्द बरामदगी स्थल, तस्दीक घटनास्थल एवं समस्त तकमील तफतीश से अनुसंधानाधिकारी द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **305(E), 331(4) बी.एन.एस.** का प्रमाणित माना जाना दर्शित किया है।

केसडायरी में संलग्न पूछताछ नोट में प्रार्थी/अभियुक्त कुमारी अंजलि उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी द्वारा कक्षा 10 वीं पास व प्रार्थी/अभियुक्त कुमारी संगीता ने 12 वीं पास होना, गर्मी का समय होने से कामधंधा नहीं होने से प्लान बनाकर एसडीएम कार्यालय के कागज चुराकर रूपये कमाना, दिनांक 20.04.2026 को रात्री समय करीब 4-5 एएम पर उनके द्वारा पीछे कमरे की खिडकी तोड कर कमरे में रखे दस्तावेज, कागज को प्लास्टिक के तीन कट्टों में भरक चोरी कर लाना, उनको पास के ही स्कूल में बने पुराने कमरे में रख देना, दिनांक 01.06.2026 को समय करीबन 7-8 बजे एक कबाडी किसान बुग्गा में रद्दी खरीदने आना, जिसका नाम शरीफ पिपलाई का होना, उसके 12 रूपये किलो के हिसाब से 160 किलो की रद्दी 1940 रूपये की होना तथा 200 रूपये की पेन्थर की खाली बोतल बेचना, शरीफ द्वारा उन्हें 2140 रूपये देना, शरीफ के साथ में एक लडका सोहिल और होना तथा संपूर्ण दस्तावेज शरीफ व सोहिल को बेच देना कथित किया है।

केसडारी में संलग्न पूछताछ नोट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शरीफ व सोहिल ने उनके द्वारा रद्दी खरीदने के लिए बामनवास जाना, उनके द्वारा कोई चोरी नहीं करना, उन्हें पता नहीं होना की यह सरकारी रिकार्ड है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कुमारी अंजलि उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी व कुमारी संगीता द्वारा उनको उक्त दस्तावेजात को चोरी करके उन्हें बेचा जाना कथित किया हैं

केसडायरी के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कुमारी अंजलि उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी व कुमारी संगीता द्वारा अपनी अपनी फर्द इत्तला 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जिस कार्यालय से सरकारी रिकार्ड चुराया है, उस स्थान को उनके द्वारा चलकर बताया जा सकता कथित किया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त कुमारी अंजलि उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी से 2140/–रूपये जब्त किया जाना, केसडायरी में संलग्न फर्द जब्ती के अवलोकन से दर्शित होता है। केसडायरी के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शरीफ व सोहिल द्वारा अपनी अपनी फर्द इत्तला 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहां से सामान खरीदा, उस स्थान को चलकर बता सकना कथित किया है।

केसडायरी के अवलोकन से एक वाहन जुगाड (किसान बुग्गा) व चोरी गये दस्तावेजात एवं तोलने का इलेक्ट्रोनिक कांटा को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाना दर्शित होता है। उक्त फर्द जब्ती में 2018, 2019, 2020 की निर्वाचन नामावलियों का एक बण्डल, 2021 की निर्वाचन नामावलियों का एक बण्डल, 2022 की निर्वाचन नामावलियों का एक बण्डल, 2023 की निर्वाचन नामवलियों के दो बण्डल, 2024, 2025 की निर्वाचन नामावलियों का एक बण्डल, एसआईआर 2026 व 2023, 2024 का एक बण्डल, जिनको लाल रंग के 7 कपडों में अलग अलग बांध कर क्रमशः मार्क ए 1, ए 2, ए 3, ए 4, ए 5, ए 6, ए 7 किया जाना दर्शित किया गया है। तहरीरी रिपोर्ट में चोरी गये दस्तावेजात व जरिये फर्द जब्ती, जब्त किये दस्तावेजात को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो संपूर्ण दस्तावेजात की बरामदगी होना नहीं पाया जाना फर्द जब्ती के अवलोकन से दर्शित होता है। उक्त चोरी गये दस्तावेजात सरकारी दस्तावेजात हैं, जो कि चुनाव विभाग, एसआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजात हैं।

केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट परिलक्षित हो रहा है कि प्रस्तुत प्रकरण में कथित रूप से चोरी की गई संपत्ति जो तहरीरी रिपोर्ट में अंकित है, वह विधानसभा चुनाव 2018 एवं 2023 में शामिल राजनैतिक पत्याशियों के नामांकन फार्म, पंचायत चुनाव 2026 हेतु पंचायतवाइज एकत्रित किए गए दावे एवं आपत्तियों, एसआईआर 2026 की नवीन मतदाता सूचियां, वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 की विधानसभा की मतदाता सूचियां, पंचायत चुनाव 2015 की विभिन्न पत्रावलियां, पंचायत चुनाव 2020 की विभिन्न पत्रावलियां, विधानसभा आम चुनाव 2018 व 2023 की पत्रावलियां तथा लोकसभा आम चुनाव 2019 व 2024 की पत्रावलियां सम्मिलित हैं, इत्यादि उक्त दस्तावेजात साधारण कागज मात्र नहीं हैं, बल्कि वे निर्वाचन प्रक्रिया एवं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग होने वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक अभिलेख हैं। इन अभिलेखों का न केवल प्रशासनिक महत्व है, बल्कि वे चुनावों की पारदर्शिता, प्रमाणिकता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाले अत्यंत आवश्यक हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार के प्रभावी प्रयोग तथा निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता का सीधा संबंध ऐसे अभिलेखों के संरक्षण से हैं। अतः इन दस्तोवजात के चोरी अथवा अनाधिकृत रूप से हटाया जाना संपत्ति के विरूद्ध लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विश्वसनियता एवं निर्वाचन प्रणाली की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कृत्य प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त चोरीशुदा अभिलेख अपनी प्रकृति, सार्वजनिक महत्व एवं विधिक उपयोगिता के कारण अत्यंत मूल्यवान दस्तावेजात हैं, जिनका सरंक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया, विधि के शासन तथा जन विश्वास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

केसडायरी में संलग्न प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कुमारी अंजलि उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी व कुमारी संगीता की 10 वीं व 12 वीं की अंकतालिकाओं की फोटो प्रतियों के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का पढा लिखा होना व साक्षर होना दर्शित होता है तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शरीफ व सोहिल खां द्वारा उक्त सरकारी दस्तावेजात को रद्दी के भाव खरीदा जाना बहुत ही गंभीर प्रकृति के आरोप हैं, ऐसे में यदि उपरोक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में विपरीत संदेश जायेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **कुमारी अंजलि उर्फ पूर्ति उर्फ लक्ष्मी, कुमारी संगीता, शरीफ व सोहिल खां** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र धारा 483 भा.ना.सु.सं.अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(रेशमा खान)
**लिंक अधिकारी**
अपर सेशन न्यायाधीश सं.01, गंगापुर सिटी

आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(रेशमा खान)
**लिंक अधिकारी**
अपर सेशन न्यायाधीश सं.01, गंगापुर सिटी